संख्या : /XVIII-B-1/2025-4(24)2022

**प्रेषक,**

**ज्योतिर्मय त्रिपाठी,**
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

**सेवा में,**

**निदेशक/अध्यक्ष,**
अभिलेख एवं संयुक्त स्थलीय निरीक्षण समिति,
यू0एल0एम0एम0सी0, देहरादून।

**आपदा प्रबंधन अनुभाग–1** देहरादून, दिनांक : सितम्बर, 2025

**विषय : जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड हवालबाग के अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावितों एवं चिन्हित स्थानों के हो रहे भूस्खलन, भू–धसांव एवं भू–कटाव से जान–माल, आवासीय भवनों एवं प्रतिष्ठानों के बचाव हेतु सुरक्षात्मक कार्य हेतु द्वितीय किस्त की धनराशि निर्गत किये जाने से पूर्व उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का तकनीकी परीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता एवं विभागध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून का पत्र संख्या–646, दिनांक 01.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से **जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड हवालबाग के अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावितों एवं चिन्हित स्थानों के हो रहे भूस्खलन, भू–धसांव एवं भू–कटाव से जान–माल, आवासीय भवनों एवं प्रतिष्ठानों के बचाव हेतु सुरक्षात्मक कार्य लागत रू0 1976.77 लाख** की योजना हेतु प्रथम किस्त स्वरूप अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र/छायाचित्र तथा अभिलेख उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किस्त निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

**2–** अतः उक्त वर्णित योजना हेतु द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने के संबंध में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को मूल पत्रावली संख्या–04(24)/2022 सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभिलेखों का तकनीकी परीक्षण करते हुए निम्न बिन्दुओं के आलोक में आख्या/संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

1. कुल स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा उल्लिखित किये गये अनुबन्ध लागत की भिन्नता के संबंध में स्पष्ट बिन्दुवार आख्या।
2. कार्यदायी संस्था द्वारा वर्तमान में चलित अनुबन्ध रु0 1259.69लाख का उल्लेख किया गया है। जिससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कुल स्वीकृत लागत के सापेक्ष कुल अनुबन्ध लागत है अथवा योजना के किसी एक भाग के सापेक्ष लागत है। उक्त के निमित्त योजना हेतु प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक धनराशि अवमुक्त की जानी प्रतीत हो रही है। तद्नुसार प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष किये गये कार्यो का विवरण एवं वास्तविक व्यय विवरण, प्रथम किस्त के सापेक्ष जो कार्य धरातल पर किये जाने थे, वास्तव में न्यून लागत के सापेक्ष उक्त कार्य उपलब्ध है अथवा नहीं? अनुबन्ध लागत के संबंध में स्पष्ट विवरण संलग्न कर उपलब्ध कराये जाएं।
3. द्वितीय किस्त के सापेक्ष धरातल पर लंबित कार्यो व उनमें प्रस्तावित व्ययभार का विवरण।
4. यदि द्वितीय किस्त अवमुक्त की जानी प्रस्तावित है तो उस दशा में धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु विस्तृत आख्या सहित संस्तुति, यदि वर्तमान में प्रस्तावित न हो, तो उस दशा में औचित्यपूर्ण आख्या।

**भवदीय,**

**(ज्योतिर्मय त्रिपाठी)**

Digitally signed by
Jyotirmay Tripathi
Date: 24-09-2025
18:39:56

अनु सचिव।